

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 37/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/142)

01. केदार पुत्र हरसहाय
02. कालू पुत्र कल्याण
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मौहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

01. किशनलाल पुत्र बीरबल दत्तक पुत्र रेवड जाति मीना निवासी मौहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा
02. लडडो पुत्री बीरबल पत्नि मूलचंद जाति मीना निवासी पाटन तहसील सिकराय जिला दौसा।
03. नत्थी पुत्री बीरबल पत्नि राधेश्याम जाति मीना निवासी रूपबास तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
04. फूलबाई पुत्री हरसहाय पत्नि सोमोत्या जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
05. प्रेम पुत्री हरसहाय पत्नि मुरारीलाल जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
06. बाडा पुत्री हरसहाय पत्नि मनोहर जाति मीना निवासी नाहरखोहरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
07. उर्मिला पुत्री हरसहाय पत्नि उमराव जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
08. रमेशी पुत्री किलाण पत्नि विश्राम जाति मीना निवासी कालाखोह तहसील दौसा।
09. गोरन्ता पुत्री किलाण पत्नि श्रीमन जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील:- संख्या 38/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/143)

01. केदार पुत्र हरसहाय
02. कालू पुत्र कल्याण
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

01. किशनलाल पुत्र बीरबल दत्तक पुत्र रेवड जाति मीना निवासी मौहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा
02. लडडो पुत्री बीरबल पत्नि मूलचंद जाति मीना निवासी पाटन तहसील सिकराय जिला दौसा।
03. नत्थी पुत्री बीरबल पत्नि राधेश्याम जाति मीना निवासी रूपबास तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

P.T.O

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

(2)

04. फूलबाई पुत्री हरसहाय पत्नि सोमोत्या जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
05. प्रेम पुत्री हरसहाय पत्नि मुरारीलाल जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
06. बाडा पुत्री हरसहाय पत्नि मनोहर जाति मीना निवासी नाहरखोहरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
07. उर्मिला पुत्री हरसहाय पत्नि उमराव जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
08. रमेशी पुत्री किलाण पत्नि विश्राम जाति मीना निवासी कालाखोह तहसील दौसा।
09. गोरन्ता पुत्री किलाण पत्नि श्रीमन जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील:- संख्या 66/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/184)

01. केदार पुत्र हरसहाय
02. कालू पुत्र कल्याण
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

01. किशनलाल पुत्र बीरबल दत्तक पुत्र रेवड जाति मीना निवासी मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा
02. लडडो पुत्री बीरबल पत्नि मूलचंद जाति मीना निवासी पाटन तहसील सिकराय जिला दौसा।
03. नत्थी पुत्री बीरबल पत्नि राधेश्याम जाति मीना निवासी रूपबास तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
04. फूलबाई पुत्री हरसहाय पत्नि सोमोत्या जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
05. प्रेम पुत्री हरसहाय पत्नि मुरारीलाल जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
06. बाडा पुत्री हरसहाय पत्नि मनोहर जाति मीना निवासी नाहरखोहरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
07. उर्मिला पुत्री हरसहाय पत्नि उमराव जाति मीना निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
08. रमेशी पुत्री किलाण पत्नि विश्राम जाति मीना निवासी कालाखोह तहसील दौसा।
10. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स


अतिरिक्त सहायीय जायन्त

P.T.O

(3)

अपील संख्या 70/2021(जीसीएमएस नम्बर 2021/120)

01. केदार पुत्र हरसहाय
02. कालू पुत्र कल्याण
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

01. किशनलाल दत्तक पुत्र रेवड पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील:- संख्या 71/2021(जीसीएमएस नम्बर 2021/119)

01. केदार पुत्र हरसहाय
02. कालू पुत्र कल्याण
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

01. किशनलाल दत्तक पुत्र रेवड पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय।

रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित -

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट
2. श्री उमेश गौड, वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 1 की ओर
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक -23.07.2024

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त अपीलों में से अपील संख्या क्रमशः 37/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/142) उनवान केदार बनाम किशनलाल व अपील संख्या 38/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/143) उनवान केदार बनाम किशनलाल, तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 24.05.2022 (नामान्तरकरण संख्या 133 व 98 वाके ग्राम मोहलाई) एवं अपील संख्या 66/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/184) उनवान केदार बनाम किशनलाल तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 27.05.2022 (नामान्तरकरण संख्या 91 वाके ग्राम मोहलाई) के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

P.T.O


अतिरिक्त सहायक आयुक्त
राजस्थान

(4)

की धारा 75 के तहत तथा अपील संख्या 70/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/120) उनवान केदार बनाम किशनलाल एवं अपील संख्या 71/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/119) उनवान केदार बनाम किशनलाल अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। चूंकि उपरोक्त पांचों अपीलों की विषयवस्तु, तथ्य एवं भूमि विवादग्रस्त एक ही होने के कारण उपरोक्त पांचों की अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई है एवं निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 किशनलाल ने दिनांक 17.06.1989 के नामान्तरकरण संख्या 98 को 31 साल बाद एवं दिनांक 12.05.1993 के नामान्तरकरण संख्या 133 को 28 साल बाद अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष काफी देरीना व अवधिपार चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की गई है जबकि इतने लम्बे समय से किशनलाल को इस बात का इल्म भली भांति था कि मृतक बीरबल की विरासत का नामान्तरकरण बीरबल के दोनों पुत्रों हरसहाय व कल्याण के नाम दर्ज हो चुके हैं, परन्तु उक्त नामान्तरकरणों के विरुद्ध पूर्व में अपील प्रस्तुत नहीं करने का एकमात्र कारण यह था कि किशनलाल, बीरबल के भाई रेवड के गोद जा चुका था तथा किशनलाल भली भांति जानता था कि उसका किसी भी प्रकार का हक बीरबल की विरासत में प्राप्त नहीं हो सकता और इसी कारण उसने बीरबल की विरासत के नामान्तरकरणों को पूर्व में चुनौती नहीं दी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही व अपीलें असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण नहीं होने के बवाजूद ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 पारित किये गये हैं जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि रेस्पोंडेन्ट किशनलाल का रेवड के गोद चले जाने के सम्बन्ध में अपीलान्त द्वारा किशनलाल स्वयं के द्वारा बनवाये गये भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, वोटर लिस्ट इत्यादि की प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भली भाँति सिद्ध हो चुका था कि रेस्पोंडेन्ट किशनलाल रेवड के गोद चला गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने महज किशनलाल का बीरबल का पुत्र होने के नाते आरबीट्रेरी तरीके से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2021 पारित करने में गंभीर त्रुटि की है जबकि जायन्दा पुत्र के गोद चले जाने के पश्चात् उसके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में गोद जाने वाली सन्तान का कतई कोई हक हकूक अधिकार नहीं रहता है, ना ही वह प्रभावित व पीड़ित पक्ष होता है, ना ही आवश्यक पक्षकार होता है। ऐसी स्थिति में गोद जाने वाले पुत्र को विरासत के नामान्तरकरण के लिये नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक भी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2021 पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

P.T.O

(5)

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया गया था जो तहसीलदार बहरावण्डा के यहाँ स्थानान्तरित कर दिया गया तथा तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण की बिना विधिवत जाँच किये ही व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों इत्यादि पर बिना कोई विवेचन किये ही अपीलाधीन निर्णय 24.05.2022 पारित किया है जो न्यायिक प्रक्रिया एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोंडेंट किशनलाल ने अपने आप को रेवड का पुत्र बताकर अपना राशनकार्ड, अपना वोटर लिस्ट, आधार कार्ड बनवा रखे है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये थे तथा स्वयं किशनलाल ने ग्राम पंचायत फर्राशपुरा से अपने हक में पट्टा जारी करवाया था जिसमें भी उसने अपने पिता का नाम रेवड दर्शा रखा है तथा उसने बिजली का कनेक्शन ले रखा है जिसके बिल में भी उसके पिता का नाम रेवड ही अंकित है जनआधार कार्ड में उसके पिता का नाम रेवड अंकित है, शौचालय निर्माण सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र में किशनलाल के पिता का नाम रेवड अंकित है, बी.पी.एल.कार्ड में उसके पिता का नाम रेवड अंकित है, पटवारी हल्का द्वारा की गई धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की रिपोर्ट में किशनलाल के पिता का नाम रेवड अंकित है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि स्वीकारोक्ति सबसे बड़ा स्पष्ट प्रमाण होता है और किशनलाल स्वयं ने स्वीकार किया था कि मैं रेवड का दत्तक पुत्र हूँ किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेवड की स्वीकारोक्ति पर विचार नहीं करके और मात्र एक मेट्रिक के सर्टीफिकेट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2022 पारित किये गये है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मददेनजर अपीलार्थीगण की पांचों अपीलें स्वीकार फरमाई जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 98 व 133 के सम्बन्ध में पारित दोनों अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 एवं उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित दोनों अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2022 एवं तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय 24.05.2022 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 91 वाके ग्राम मौहलाई पर पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 को निरस्त फरमाया जावें एवं नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 17.06.1989 व 133 दिनांक 12.05.1993 वाके ग्राम मौहलाई को बहाल फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्त व रेस्पोंडेंट एक ही परिवार के सदस्य है एवं भूमि विवादग्रस्त रेस्पोंडेंट संख्या 1 किशनलाल के दादा स्व.भौरिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा भौरिया की मृत्यु होने पर उसकी भूमि उसके तीनों पुत्रगण बीरबल, इन्द्राज व रेवड के नाम समान हिस्सा से नामान्तरित हुई जो तीनों भाईयों की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पूर्व में खसरा नम्बर 93 रकबा 6 बीघा व 115 मिन 15 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मौहलाई में स्थित है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण के दादा व रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पिता बीरबल की मृत्यु होने के बाद उक्त आराजीयात में स्व. बीरबल का हिस्सा 1/3 की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 08.06.1991 को उसक दो पुत्रगण हरसहाय व कल्याण के नाम ही खोला गया

P.T.O

अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकरण

(6)

जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 किशनलाल का नाम नामान्तरकरण कनिष्ठ पुत्र होने के बावजूद पटवारी हल्का ने अंकित नहीं किया। इस नामान्तरकरण की तुलना भू अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 17.06.1989 को बिना जांच कर अंकन मुताबिक जमाबन्दी होना अंकित कर दिया एवं तहसीलदार ने भी बिना कोई जांच किये ही राजस्व अभियान कैम्प फर्राशपुरा में दिनांक 17.06.1989 को विरासत बीरबल बहक हरसहाय व कल्याण तस्दीक फरमा दिया जो अवैध अनियमित एवं अनाधिकृत आदेश था।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण के बाद स्व. बीरबल, इन्द्राज व रेवड़ पुत्र भौरया के हिस्सा 1/6 की अन्य आराजी किता दो रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम मौहलाई का नामान्तरकरण पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण के नाम दिनांक 12.05.1993 को विरासत बीरबल अंकित कर भरा व नामान्तरकरण की पुस्त पर बीरबल के दो पुत्रों हरसहाय व किलाण अंकित करके हरसहाय पुत्र बीरबल एवं कालू पुत्र कल्याण के नाम अधीनस्थ तहसीलदार ने भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उसी दिन की गई तुलना अंकत सही है, के आधार पर उसी दिन तस्दीक कर दिया यानि नामान्तरकरण संख्या 133 की कार्यवाही एक ही दिन में की गई। इस सम्बन्ध में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 किशनलाल को कोई सूचना व सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि तहसीलदार को स्वेच्छिक रूप से उत्तराधिकार निश्चित करने का कोई अधिकार कानून प्राप्त नहीं था।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 किशनलाल स्व. श्री बीरबल का प्रथम श्रेणी का प्राकृतिक उत्तराधिकारी है तथा वह आराजी अंकित नामान्तरकरण वर्तमान खसरा नम्बर 248, 253, 340, 341 रकबा 5.33 हैक्टर वाके ग्राम मौहलाई में स्व. बीरबल के हिस्सा 1/3 के हिस्सा 1/3 पर काबिज रहकर काशत कर रहा है। तहसीलदार ने मृतक बीरबल के तीनों पुत्रों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं कर विधिक एवं न्यायिक त्रुटि कारित की थी जिसकी जानकारी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को होने पर उक्त नामान्तरकरण संख्या 98 व 133 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी जिस अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही प्रकरण का गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 पारित किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 27.09.2021 की पालना में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण में मौका व रिकार्ड की विस्तृत जांच कर एवं पक्षकारान के बयानादि लेने के पश्चात् प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2022 पारित किये गये हैं। उन्होंने आगे कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट कभी भी रेवड़ के गोद नहीं गया बल्कि वह अपने पिता स्व. बीरबल के हिस्से 1/3 में अपने हिस्से 1/3 पर काबिज काशत है जबकि रेवड़ की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 153 केवल रेवड़ की पुत्री कन्दादेवी के ही नाम तस्दीक हुआ है। यदि रेस्पोजेन्ट किशनलाल रेवड़ का दत्तक पुत्र होता

P.T.O

(7)

तो निश्चित तौर पर रेवड की विरासत का नामान्तरकरण रेवड के नाम भी तस्दीक होता। जिससे स्पष्ट है कि किशनलाल स्व. रेवड के गोद नहीं गया है। उन्होने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेजात में भी किशनलाल के पिता का नाम बीरबल ही अंकित है तथा तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर स्व. बीरबल के सभी वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर नामान्तरकरण खोलने का निर्णय दिनांक 24.05.2022 पारित किया गया है जो विधि सम्मत है एवं उक्त निर्णय की पालना में स्व. बीरबल के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 27.05.2022 तस्दीक किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मददेनजर अपीलार्थीगण की पौचों अपीलें खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 एवं तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2022 विधि सम्मत होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि स्व. बीरबल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 17.06.1989 को एवं नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 12.05.1993 को अपीलार्थीगण के नाम तस्दीक किये गये हैं जिसके विरुद्ध असाधारण विलम्ब से लगभग 31 व लगभग 28 वर्ष पश्चात् रेस्पोडेन्ट किशनलाल द्वारा दिनांक 08.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत की गई हैं जबकि इतने लम्बे समय तक उक्त नामान्तरकरणों की जानकारी रेस्पोडेन्ट जो कि पढा लिखा है, को नहीं होना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। यदपि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनलाल के वर्ष 1973, 1974 के शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेजात, खेल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, वर्ष 1984 के श्रम व नियोजन विभाग के पहचान पत्र एवं परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 03.09.1983 में इत्यादि में किशनलाल के पिता का नाम बीरबल अंकित है जो काफी पुराने हैं किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों के बाद बनवाये गये पत्रादि यथा राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली बिल, वोटर आई कार्ड, शौचालय स्वीकृति, आबादी भूमि का पट्टा, शपथ पत्रादि इत्यादि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनलाल के पिता का नाम रेवड अंकित है। यदपि रेवड की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 153 रेवड की जायन्दा पुत्री कन्चादेवी के नाम तस्दीक हुआ है जिसका बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नी श्रीमती इन्द्रादेवी के नाम दिनांक 10.06.2016 को हुआ है एवं इस सम्बन्ध में स्व. रेवड की जायन्दा पुत्री कन्चादेवी द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांक 29.11.2021 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि स्व. रेवडमल द्वारा गांव के पंच पटेल भाई बन्धु एवं पौराणिक रिति रिवाज के अनुसार गोद लिये गये किशनलाल दत्तक पुत्र रेवडमल व लाल्याराम मीना दत्तक पुत्र रेवमल को सम्पूर्ण भूमि दोनों को बराबर के हिस्से की भूमि एवं चल-अचल सम्पत्ति संभला दी है एवं उनसे उक्त सम्पत्ति एवं कृषि भूमि की ऐवज में कोई राशि प्राप्त नहीं की गई थी।

P.T.O


अतिरिक्त सहायक जज
जयपुर

(8)

इस प्रकार चूँकि स्व. रेवड की जमीन उसके दो गोद पुत्रों क्रमशः लालाराम तथा किशनलाल जैसा की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वर्णित है, के नाम प्रत्यक्षतः/परोक्ष रूप से जरिये रजिस्ट्री स्व. रेवड की पुत्री से प्राप्त हो चुकी है तथा स्व. रेवड की पुत्र कंचादेवी ने शपथ पत्र के माध्यम से यह स्वीकार किया है उसे जमीन के बदले कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं की है इससे स्पष्ट होता है कि किशनलाल को स्व. रेवड से विरासत में भूमि प्राप्त हो गई। रेस्पोडेन्ट कंचा देवी के शपथ पत्र के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये जिससे यह साबित हो सके कि कंचा देवी को प्रतिफल राशि अदा की गई हो। पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में प्रस्तुत पत्रावली में भी किशनलाल ने अपने पिता का नाम रेवड अंकित किया है। स्वीकारोति को प्रमाणित करने आवश्यकता नहीं होती है। (admitted facts need not to be proved) के सिद्धान्त के अनुसार भी किशनलाल रेवड का पुत्र होना प्रमाणित होता है। ऐसे में कानूनन रेस्पोडेन्ट किशनलाल अपने नैसर्गिक पिता स्व. बीरबल की भूमि में कोई हिस्सा/हक/हकूक प्रथम दृष्टया साबित करने में विफल रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2021 जो क्रमशः अपील संख्या 70/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/120) उनवान केदार बनाम किशनलाल एवं अपील संख्या 71/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/119) उनवान केदार बनाम किशनलाल में पारित किया गया है निरस्त किया जाता है तथा अपीलें स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 17.06.1989 को एवं नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 12.05.1993 को बहाल किया जाता है। चूँकि तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2022 पारित किये गये हैं ऐसी स्थिति में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 निरस्त कर दिये जाने से तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2021 एवं नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 27.05.2022 स्वतः ही निरस्त हो चुके हैं। उन्हें निरस्त समझा जावे।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति-संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति-संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर